न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या - 71/2017

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

मांगु पिता मन्ना मु. रूपा बंजारा जाति बंजारा उम 60 वर्ष निवासी भगवानपुरा (आसोप) तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. जानी पत्नि छोगा बंजारा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा (आसोप) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
2. कमला पत्नि दुर्गा बंजारा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा (आसोप) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
3. मांगु पिता नाथा बंजारा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी बिलासपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
4. मेम्बर पिता नाराण बंजारा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा (आसोप) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
5. गोरू पिता किशना बंजारा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा (आसोप) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
6. कमला पत्नि छोगा बंजारा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा (आसोप) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये भु-धारक तहसीलदार कोटडी, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक 5-4-2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 23/3/17 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का आसोप भू.अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र छापडेल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा की सरहद मे आराजी सं. 386/13 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 386/15 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 386/17 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **छापडेल** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का आसोप भू.अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र छापडेल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा की सरहद मे आराजी सं. 386/13 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 386/15 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 386/17 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 1700 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाड़ा